न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 88 / 2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 22.08.2025
निर्णय दिनांक : 27.10.2025

1. दिनेश कुमार,
2. योगेश कुमार पुत्रान कैलाश चन्द
समस्त जाति महाजन, निवासीयान दंगाल चौक, कस्बा बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़। – प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. गिर्राज कुमार उर्फ लीला पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी बाढ़ पुरोहित तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. मुकेश,
4. राजेश पुत्र रेवडमल,
5. रामा देवी पत्नि स्व0 संजय पुत्र रेवडमल,
6. उदिति पुत्री स्व0 संजय,
7. ऋषि पुत्र स्व0 संजय
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीयान बाढ पुरोहित तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़। –अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 आर टी एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री प्रभा अग्रवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुरेश चन्द मीणा अप्रार्थी संख्या 02 एवं श्री सतीश कुमार सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बउनवान गिर्राज कुमार वर्ग0 बनाम दिनेश कुमार वगै0 प्रकरण संख्या 63 / 2023 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द मीणा व अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री सतीश कुमार सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व 5 लगायत 7 के पति / पिता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बउनवानी गिर्राज कुमार बनाम दिनेश कुमार वगै० प्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया कि आराजी ख० न० 110 / 10 रकबा 0.8800 है० वाके मौजा बाढ पुरोहित तहसील बानसुर के काबिज खातेदार है, हम अपनी खातेदारी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 110 / 10 में फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी की जोत बाह के लिये ट्रैक्टर एवं कृषि उत्पाद ले जाने के लिये एवं बैलगाडी आदि के लिये कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 7 साबिक खसरा नम्बर 3 रकबा 0.42 हैक्टयर राजस्व ग्राम बाढ पुरोहित में से अप्रार्थीगण के स्व० पिता कैलाश चन्द ने उपखण्ड अधिकारी बानसुर के समक्ष आवेदन कर कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन के लिये भू संपरिवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु करवाया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी बानसुर को वाणिज्यिक भूमि में से रास्ता देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व 5 लगायत 7 के पति / पिता उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात कस्बा बानसुर में एलानिया कह रहे है कि हम खसरा नम्बर 7 की भूमि में से रास्ता लेकर रहेगे। प्रार्थीगण (महाजनों) की दुकानों एवं फैक्ट्री की चार दीवारी को तुडवाकर 30 फुट चौडा रास्ता लेकर रहेगे तथा हमने पीठासीन अधिकारी एवं राजस्व कर्मियों से देन लेन की सैटिंग कर ली है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर बिना किसी कानूनी आधार के प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि दिखाते हुए प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख देते हुये

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

तथा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करना चाहते है। अतः प्रकरण उनवानी गिर्राज कुमार वगै० बनाम दिनेश कुमार वगै० अंतर्गत धारा 251 (ए) राज० काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 63/2023 को उपखण्ड अधिकारी बानसुर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड, राज० की अदालत से अन्य किसी भी उपखण्ड अधिकारी की अदालत में सुनवायी हेतु हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि हाल आराजी खसरा नं0 7 रकबा 0.4200 हैक्ट० वाके ग्राम बाढपुरोहित तहसील बानसूर अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है प्रार्थी को उपरोक्त आराजी खसरा नं0 7 रकबा 0.4200 हैक्ट०, वाके ग्राम बाढपुरोहित तहसील बानसूर की पश्चिम डोल के साथ उत्तर से दक्षिण गैर मुमकिन सडक खसरा नं0 5 तक पहुचने के लिए प्रार्थी को खसरा नं0 7 मे से 30 फुट चौडा रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी की जोत खसरा नं0 110/10 रकबा 0.8800 हैक्ट० से खसरा नम्बर 5 में स्थित सडक तक पहुचने के लिए कोई अन्य रास्ता नही है। प्रार्थीगण की आराजी की जोत बाह के लिए टैक्टर एवं कृषि उत्पाद ले जाने के लिए एवं बैलगाडी आदि के लिए कोई रास्ता मौजूद नही है। हाल आराजी खसरा नं0 7 रकबा 0.4200 हैक्ट०, वाके ग्राम बाढपुरोहित तहसील बानसूर मे से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 110/10 रकबा 0.8800 हैक्ट० वाके मौजा बाढपुरोहित तह० बानसूर से खसरा नं0 5 मे स्थित रास्ता जो गैरमुमकिन खडक, खसरा नं0 7 से लगता हुआ है तक पहुंचने के लिए प्रार्थीगण 30 फुट चौडा रास्ता लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करते हुए कार्यवाही जैरकार है। प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल कयास के आधार पर बिना किसी प्रावधान के पेश कर दी है। प्रार्थी ने झूठे आरोप लगाये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में विधिवत् सुनवाई की जा रही है ये प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करवाने हेतु पेश किया है।

अन्त में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 व 04 को कोई आपत्ति नहीं है।

6 वकील उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु वकील प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 04 ने भी अपनी बहस में जाहिर किया कि यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 व 04 को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बानसूर में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) बउनवान गिर्राज कुमार वर्ग0 बनाम दिनेश कुमार वगै0 प्रकरण संख्या 63/2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण की मूल पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में शीघ्र प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष दिनांक 18.11.2025 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर/कोटपूतली को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़